रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 29, 1984/ज्यैष्ठ 8, 1906
No. 185] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 29, 1984/JYAISTHA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 मई, 1984

अधिसूचनाएं

सं० 133/84-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

मा०का०नि० 416(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 274/76-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"2.	(क) ऐसे फैब्रिक जो (संयुक्त मिल से भिन्न) कारखाने द्वारा बुने गए हैं और किसी स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्कृत किए गए हैं :	
	(1) पुनराप्तऊर्ण के कम्बल, वे कम्बल जो देशी ऊन और (पुनराप्त सूत से बने हुए) मेल्टन कपड़े से बनाए गए।	कुछ नहीं
	(2) पच्चीस रुपए प्रति वर्ग मीटर से अनधिक मूल्य के (पुनराप्तऊर्ण सूत से बने हुए) फैब्रिक	कुछ नहीं
	(3) अन्य	मूल्य का पांच प्रतिशत
	(ख) ऐसे फैब्रिक जो (संयुक्त मिल से भिन्न) कारखाने द्वारा बुने गए है और किसी संयुक्त मिल द्वारा प्रसंस्कृत किए गए हैं,	
	(1) पुनराप्तऊर्ण के कम्बल, वे कम्बल जो देशी ऊन और (पुनराप्तऊर्ण सूत से बने हुए) मेल्टन कपड़े से बनाए गए है।	मूल्य का दो प्रतिशत
	(2) पच्चीस रुपए प्रति वर्ग मीटर से अनधिक मूल्य के (पुनराप्तऊर्ण सूत से बने हुए) फैब्रिक।	मूल्य का ढाई प्रतिशत
	(3) अन्य	मूल्य का आठ प्रतिशत

1	2	3
(ग) अन्य प्रसंस्कृत फैब्रिक—		
	(1) पुनराप्तऊर्ण के कम्बल, वे कम्बल जो देशी ऊन और (पुनराप्तऊर्ण सूत से बने हुए), मेल्टन कपड़े से बनाए गए हैं।	मूल्य का साढ़े चार प्रतिशत
	(2) पच्चीस रुपए प्रति वर्ग मीटर से अनधिक मूल्य के (पुनराप्तऊर्ण सूत से बने हुए) फैब्रिक	मूल्य का साढ़े चार प्रतिशत।
	(3) अन्य	मूल्य का दस प्रतिशत।"

[फा०सं० बी 10/2/84-टी आर

MINISTRY OF FINANC

(Department of Revenue)

New Delhi, the 29th May, 1984

NOTIFICATIONS

No. 133/84-CENTRAL EXCISES

GSR. 416(E).——In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Department of Revenue, and Banking, No. 274/76-Central Excises, dated the 13th November, 1976 namely :—

In the table annexed to the said notification, for Sl. No. 2 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"2.	(a) Fabrics woven by a factory (other than a composite mill) and processed by an independent processor—	Nil
	(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of Shoddy yarn).	Nil
	(ii) Fabrics (made of shoddy yarn) of value not exceeding twenty-five rupees per square metre.	Nil
	(iii) Others	Five per cent. ad valorem.
	(b) Fabrics woven by a factory, (other than a composite mill) and processed by a composite mill—	
	(i) Shoody blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).	Two per cent ad valorem.
	(ii) Fabrics(made of shoddy yarn) of value not exceeding twenty-five rupees per square metre.	Two and a half per cent ad valorem.
	(iii) Others	Eight per cent. ad valorem.
	(c) Other processed fabrics	
	(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).	Four and a half per cent. ad valorem.
	(ii) Fabrics (made of shoddy yarn) of value not exceeding twenty-five rupees per square metre.	Four and a half per cent ad valorem.
	(iii) Others	Ten per cent ad-valorem".

[F. No. B-10/2/84—TRU]

सा०का०नि० 417 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 275/76केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 13 नवम्बर, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में मद क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)
"(क) यदि (संयुक्त मिल से भिन्न) कारखाने द्वारा बुने गए हैं और किसी स्वतन्त्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्कृत किए गए हैं;	
(1) पुनराप्तऊर्ण के कम्बल, वे कम्बल जो देशी ऊन और (पुनराप्तऊर्ण) सूत से बने हुए) मेल्टन कपड़े से बनाए गए हैं।	कुछ नहीं
(2) पच्चीस रुपए प्रति वर्ग मीटर से अनधिक मूल्य के (पुनराप्तऊर्ण सूत से बने हुए) फैब्रिक।	मूल्य का दो प्रतिशत।
(3) अन्य	मूल्य का ढाई प्रतिशत।"

[फा० सं० बी 10/2/84-टी आर यू]

गौतमरे, अवर सचिव

No. 134/84-CENTRAL EXCISES

GSR. 417 (E).——In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Department of Revenue and Banking, No. 275/76-Central Excises, dated the 13th November, 1976, namely :—

In the Table annexed to the said notifiction, for item A and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)
"(A) If woven by a factory (other than a composite mill) and processed by an independent processor :	
(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton cloth (made of shoddy yarn).	Nil
(ii) Fabrics (made of shoddy yarn) of value not exceeding twentyfive rupees per square metre.	Two per cent ad valorem.
(iii) Others	Two and a half per cent. ad valorem."

[F. No. B-10/2/84-TRU]

Gautam Ray, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984